न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 88/2022 जिला सीकर

1. पोकरमल पिसरान बिडदूराम जाति जाट निवासी ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. किरण कंवर पत्नी श्री चतर सिंह जाति राजपूत निवासी भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.06.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर प्रकरण संख्या 250/2022 बउनवानी किरण कंवर बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित—

1. श्री राजकुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री रघुवीर सिह राठौड रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —31.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 09.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 856/2321 रकबा 0.01 है0 गै0मु0, खसरा नं. 856/2323 रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 856/3 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 857/3 रकबा 0.79 है0 गै0मु0 बेहड कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 है0 जिसका सीमाज्ञान दिनांक 28.04.2022 को तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 किरण कंवर पत्नी श्री चतरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.04.2022 के अनुसार नियमानुसार प्रार्थी व पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद उक्त खसरा नम्बरों की चतुर्दिक सीमाओं की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 09.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री पोकरमल पिसरान बिडदूराम जाति जाट द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 09.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 856/2321 रकबा 0.01 है0 गै0मु0, खसरा नं. 856/2323 रकबा 0.50 है0, खसरा नं. 856/3 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 857/3 रकबा 0.79 है0 गै0मु0 बेहड कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 है0 भूमि के अपीलांट समीपस्थ खातेदार हैं तथा पूर्व में उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि रही है तथा विभाजन पश्चात् आराजी खसरा नं. 856/2321, 856/2322/2, 856/3, 857/3 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हिस्से में आयी है तथा इसी के समीपस्थ स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 856/2322/3, 855, 856/2, 857/2 अपीलांट के हिस्से में आयी है तथा खसरा नं. 856/1, 856/2322/1, 857/6 अपीलांट व रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त भूमि का पूर्व में भी पत्थरगढी के आदेश हो चुके है जिसकी पालना में दिनांक 24.11.2016 को तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पत्थरगढी करवाई गई थी तथा उसी आदेश से अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर तारबंदी करवा रखी है जिसे जबरन हटाने की नियत से रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्व पत्थरगढी के तथ्यों को छुपाकर पुनः पत्थरगढी के आदेश करवा लिए और समीपस्थ खातेदार होने के बाबजूद भी रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 09.06.2022 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना में स्थित विवादित भूमि की प्रार्थी एकमात्र काश्तकार खातेदार प्रार्थीया है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थीया द्वारा विधिवत तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 28.04.2022 को सीमाज्ञान किया गया। अपीलांट व प्रार्थीया के मध्य पूर्व में भूमि का विभाजन हो चुका है जो कि बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्द बुर्द कर रहे हैं जबकि रेस्पो. ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी उभयपक्षों की सहमति से स्वीकार किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का पेश किया गया है उसमें पूर्व में की गई पैमाईश एवं पत्थरगढी का उल्लेख नहीं है जबकि अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इसी विवादित भूमि की रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकरण संख्या 457/2016 उनवान किरण कंवर बनाम तहसीलदार निर्णय दिनांक 19.10.2016 द्वारा पत्थरगढी के आदेश दिए जा चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को भी सुना जाना चाहिए तथा पूर्व निर्णय पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीकर

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर का निर्णय दिनांक 09.06.2022 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर एवं पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2016 का अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner